24.9.25

पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर को बाबत पालनार्थ भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर होवे!

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

(33)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री माधव भारद्वाज (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03 / 45	21.10.2024	136 LR Act	25.09.2025

उनवान

1:–श्रीमती कुन्ता देवी धर्म पत्नि हरिकिशन जाति मीणा उम्र करीब 60 साल निवासी बुद्धविहार बिराई माता मन्दिर के पास अलवर

प्रार्थी

बनाम

1–तहसीलदार साहब (भू०अ०) एवं लैण्ड होल्डर तहसील अलवर जिला अलवर (राज०)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थीयान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल. आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिन सायला कुन्ता देवी ने पत्नि हरिकिशन ने हरिराम, चरणलाल पुत्रान कन्हैयालाल मीणा निवासी प्रेम नगर, मेहताब सिंह का नौहरा अलवर राज० व श्रीमती छोटी देवी बेवा कैलाश बहैसियत खुद व वली कुदरती नाबालिकान जरिये सरपरस्ती महावीर, सतपाल, गणेश पुत्रान कैलाश मीणा निवासी रूपबास के हकूक कब्जा काश्त खातेदार आराजी खसरा नं 379 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा में से 3/4 हिस्सा संपूर्ण अंश में से रकबा 13 बिस्वा ग्राम बल्लाबोडा अलवर को जरिये रजिस्र्टड बयनामा तारीख 03.06.1994 को खरीद की है व उक्त बयनामा दिनांक 03.06.1994 को तस्दीक किया है उक्त बयनामे मिन सायला का नाम कुंता देवी मीणा धर्म पत्नि हरिकिशन जाति मीणा अंकित है व मिन सायला (कुंता देवी) के पक्ष में उक्त आराजी का इंतकाल बय नं 163 उक्त आराजी का दर्ज व स्वीकार किया गया है। सैटलमेंट विभाग ने सैटलमेंट संवत् 2051 के दौरान मिन सायला का नाम उक्त आराजी के बाबत कुंती देवी दर्ज कर दिया है व उक्त सैटलमेंट के आधार पर मिन सायला का नाम कागजात माल में उक्त आराजी बाबत कुंती देवी दर्ज किया गया है। जबकि मिन सायला का नाम कुंता देवी है व मिन सायला के पक्ष में उक्त आराजी इंतकाल नं 163 में कुंता देवी के नाम से दर्ज व स्वीकार किया गया है व उक्त आराजी के हाल नं 639, 640 है।

मिन सायला लोन लेने बैंक में गई तो बैंक अधिकारियों ने लोन नहीं दिया और कहा कि तुम्हारा नाम कागजातमाल में अकित नहीं है बल्कि कुंती देवी है इसलिए तुम्हे लोन नहीं मिलेगा। जिस पर मिन सायला ने राजस्व रिकॉर्ड की आराजी मुतनाजा बाबत नकलें

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

दिनांक 04.10.2024 को प्राप्त की जिससे उक्त हालात का पता चला। मिन सायला ग्रामीण परिवेश की महिला है व उक्त इंद्राज कायम रहने से मिन सायला की बरबादी का बाईस है।

मिन सायला का नाम आधार कार्ड में कुंता देवी व राशन कार्ड में कुंता देवी व भामाशाह कार्ड में कुंता देवी अंकित है। जबकि उक्त आराजी के बाबत कागजातमाल संवत् 2051 के दौरान मिन सायला का नाम कुंती देवी सहबन दर्ज किया है जबकि मिन सायला का नाम इसलिए सैटलमेंट विभाग द्वारा मिन सायला का नाम उक्त आराजी बाबत कुंती देवी दर्ज किया है। उसके स्थान पर कुंता देवी दर्ज किए जाने योग्य है। उक्त संशोधन होने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है।

मिन सायला इस बाबत तहसीलदार अलवर के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया लेकिन तहसीलदार अलवर ने श्रीमान के यहां कार्रवाई करने के बाबत कहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमान के यहां पेश है। तहसीलदार अलवर ने मिन सायला का नाम कागजातमाल में आराजी मुतनाजा बाबत कुंती देवी के स्थान पर कुंता देवी करने से इंकार कर दिया जिससे प्रार्थना पत्र श्रीमान के यहां पेश है।

यह कि प्रार्थना–पत्र काबिल समाअत अदालत श्रीमान है, व प्रार्थना पत्र अंदर मियाद पेश है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी मुतनाजा के बाबत मिन सायला का कागजातमाल में सैटलमेंट विभाग ने सैटलमेंट संवत् 2051 के दौरान गलत तरीक से सहबन से मिन सायला का नाम उक्त आराजी के बाबत कुंती देवी दर्ज किया व आईंदा जमाबंदियों में भी सैटलमेंट के आधार पर कुंती देवी आराजी मुतनाजा के बाबत दर्ज किया। उसके स्थान पर मिन सायला के नाम मुताबिक बयनामा, व मुताबिक इंतकाल कुंता देवी दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया साथ ही तहसीलदार (भूमीधारी) अलवर को पत्र जारी कर रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट पत्रॉक:भू0अ0/2025/15/ दिनॉक 01–01–2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि मुताबिक जमाबन्दी हाल सेग्रीगेशन के खाता नम्बर 50 में स्थित खसरा नम्बर 639/0.09, 640/0.76 वाके ग्राम बल्लाबोडा में श्रीमति कुन्ती पत्नी हरिकिशन हि0 3/17 जाति मीणा सा० बुध विहार बौराई माता के मन्दिर के पास अलवर खातेदार दर्ज रिकोर्ड है। मुताबिक जमाबन्दी भू–प्रबन्ध मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2051 में दर्ज की स्थिति निम्न प्रकार से है

हाल रिकॉर्ड की स्थिति

खसरा नम्बर	रकबा है0	सम्वत 2051 की स्थिति	
		खसरा नम्बर	रकबा (बीघा/विस्वा)
639	0.09	379	3 बीघा 7 बिस्वा
640	0.76	379 मिन	

भू–प्रबन्ध मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2051 के खाता नम्बर 51 श्रीमति कुन्तीदेवी पत्नी हरिकिशन जाति मीणा सा० बुध्द विहार बीराई माता के मन्दिर के पास अलवर खातेदार दर्ज रिकोर्ड है।

जॉच रिपोर्ट के जर्य बैयनामा रजिस्टर्ड दिनांक 03/06/1994 का नामान्तकरण संख्या 163 दिनांक 12/07/1994 में साबिक खसरा नम्बर 379 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा विक्रेता हरीराम चरणलाल छोटी बेवा वगैरह द्वारा 0–13 बिस्वा का बैचान क्रेता (सायला) कुन्ता देवी स्त्री श्री हरिकिशन मीना सा० बुद्वविहार बीराई माता के मन्दिर के पास अलवर के पक्ष में स्वीकृत होकर राजस्व रिकोर्ड में निष्पादित हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

(34)

मुताबिक भू–प्रबन्ध मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2051 में उक्त नामान्तकरण संख्या 163 दिनांक 12/07/1994 स्वीकृत का अमल करते वक्त कुन्तादेवी स्त्री श्री हरिकिशन मीना के स्थान पर कुन्तीदेवी स्त्री श्री हरिकिशन मीना सा० बुध विहार बीराई माता के मन्दिर के पास अलवर अमल दरामद हुआ जो वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में चला आ रहा है। जमाबन्दी हाल सेग्रीगेशन में स्थित खसरा नम्बर 639/0.09, 640/0.76 में श्रीमति कुन्ती पत्नी हरिकिशन हि0 3/17 के स्थान पर कुन्तादेवी स्त्री श्री हरिकिशन मीना राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्त का अनुतोष चाहा गया है।

अतः मुताबिक जाँच के जर्ये वैयनामा रजिस्टर्ड दिनांक 03/06/1994 का नामान्तकरण संख्या 163 दिनांक 12/7/1994 को स्वीकृत के अनुसार उक्त आराजी में कुन्तीदेवी स्त्री श्री हरिकिशन मीना के स्थान पर कुन्तादेवी स्त्री श्री हरिकिशन मीना राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्त किया जाना सायला द्वारा चाहा गया अनुतोष उचित है। उक्त जॉच रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा न्यायालय को प्रेषित की गई है।

प्रार्थना पत्र के कम मे वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का कथन किया गया।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया जिसके आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, राजस्व अभिलेख तथा तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा शुद्धिकरण हेतु अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका सत्यापन तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट एवं अनुशंसा से भी होता है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत पोषणीय पाया गया है, अतः इसे स्वीकार किया जाता है। तदनुसार आदेशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड वैनामा दिनांक 03.06.1994 तथा नामांतरण संख्या 163 दिनांक 12.07.1994 के अनुसार, हाल खाता संख्या 50, आराजी खसरा नंबर 639 (0.09 है.) एवं 640 (0.76 है.), ग्राम बल्लाबोड़ा, तहसील अलवर में कुन्तीदेवी पत्नी श्री हरिकिशन के स्थान पर कुन्तादेवी पत्नी श्री हरिकिशन का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाकर आवश्यक शुद्धिकरण किया जाए। शेष प्रविष्टियां पूर्ववत रहेंगी।

MD

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 25 –09–2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

MD

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर